संख्या: /XVII-2/20-01(17)/2018

प्रेषक,

एल०फैनई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनाँक: 07 जुलाई, 2020**

विषयः– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1785/स.क./कोचिंग/2019–2010 दिनांक 26 अगस्त, 2019 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनांक 18 अगस्त,2009 में उल्लिखित "छात्रों का चयन" शीर्षक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्रावधान
कोचिंग हेतु संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त विभाग द्वारा संचालित संस्था को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जायेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था कोचिंग के लिए पात्र छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करायेगी। छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच आदि का कार्य सम्बन्धित संस्था के द्वारा ही किया जायेगा। किन्तु कोचिंग के लिए निर्धारित स्थानों के सापेक्ष छात्रों का चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। चयन समिति निम्नवत गठित की जायेगी। 1. निदेशक, समाज कल्याण द्वारा द्वारा नामित अधिकारी जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से निम्न स्तर का नहीं होगा। – **अध्यक्ष** 2. संस्थाध्यक्ष/संस्थान का मुखिया – **सदस्य** 3. विषय विशेषज्ञ – **सदस्य** 4.संस्था के सचिव/कार्यालय सहायक/– **संयोजक** कोचिंग विभाग का अध्यक्ष चयन के उपरान्त सम्बन्धित संस्था चयनित छात्रों का पूर्ण विवरण जिसमें नाम, पता लिंग तथा वार्षिक आय की सूचना विलम्बतम एक माह के भीतर निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।	कोचिंग हेतु संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के निदेशालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त चयन की गयी संस्थाओं को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जायेगी। इसके उपरान्त निदेशालय स्तर से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर छात्र/छात्राओं से आवेदन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में कोचिंग संस्थान का विवरण एवं छात्रों के चयन हेतु आवेदन तथा मानकों का विवरण होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच का कार्य निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके उपरान्त छात्रों द्वारा कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु दिए संस्थाओं के वरीयता क्रम के आधार पर छात्रों का निर्धारण कर संस्थाओं को छात्र आवंटित किये जायेंगे। निदेशालय स्तर पर चयन समिति निम्नवत गठित की जायेगी– 1. संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण – **अध्यक्ष** 2. निदेशक जनजाति कल्याण द्वारा नामित प्रतिनिधि – **सदस्य** 3.चयनित कोचिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि – **सदस्य** 4.सहायक निदेशक, समाज कल्याण – **संयोजक**

4– शासनादेश संख्या–790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनाक 18 अगस्त,2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(एल०फैनई)
सचिव।

Letter 2019-20

पृष्ठांकन संख्याः–652/XVII-2/20–01(17)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–अपर सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त शासनादेश के क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना से सम्बन्धित चयन समिति गठित किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3–वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰ समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

6–निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

7–निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।

8–निदेश, आई॰टी॰डी॰ए॰, उत्तराखण्ड।

9–समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)

10–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

11–आदेश पंजिका।

07/7/20

(एल॰फैनई)

सचिव।

Letter 2019-20